संख्या-346/2018/2717/22-2-2017-17(670)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 19 अप्रैल, 2018**

विषय:- नारी बन्दी निकेतन, आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष महिला बन्दी दिलवरी पत्नी श्री अफसर, निवासी जनपद-मुरादाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35977/प्रोबेशन-7/सीमित सजा/ (एम-06-09-2016) दिनांक-04-10-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 04-10-2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार महिला बन्दी दिलवरी पत्नी श्री अफसर, निवासी-ग्राम-बेला की मढ़ैया, थाना-असमौली, जनपद-मुरादाबाद का रहने वाली है। दहेज में मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर महिला बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 23.09.2002 को अपनी पुत्रवधू नसरीन का गला दबाया बाद में धारदार हथियार जैसे दरांती से काट कर हत्या कर दी। मृतका के पेट में 06 माह का भ्रूण था। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-286/2003 में भा0द0वि0 की धारा-304बी0, 498ए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-3/4 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-13, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 15.10.2010 द्वारा दस वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 11.01.2016 तक 05 वर्ष 05 माह 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष 06 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। महिला बन्दी के 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है, 01 सहअभियुक्त का मुकदमा मा0 किशोर न्यायालय को अन्तरित किया गया है एवं 03 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी बन्दी की समयपूर्व रिहाई पर की गयी संस्तुति पर विचारोपरान्त प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि महिला बन्दी ने दहेज में मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने के कारण 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 23.09.2002 को अपनी पुत्रवधू नसरीन का गला दबाया बाद में धारदार हथियार जैसे दरांती से काट कर हत्या कर दी, मृतका के पेट में 06 माह का भ्रूण था। महिला बन्दी द्वारा किये गये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष महिला बन्दी दिलवरी पत्नी श्री अफसर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महिला बन्दी दिलवरी (महिला बन्दी संख्या-2168/एन0बी0एन) पत्नी श्री अफसर, निवासी जनपद-मुरादाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-346/2018/2717(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-मुरादाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, नारी बन्दी निकेतन, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-346/2018/2717/22-2-2017-17(670)/2017
दिनांक 19 अप्रैल, 2018 का संलग्नक
<u>सरकार के आदेश</u>

नारी बन्दी निकेतन, आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी दिलवरी (महिला बन्दी संख्या-2168/एन0बी0एन) पत्नी श्री अफसर, निवासी-ग्राम-बेला की मढ़ैया, थाना-असमौली, जनपद-मुरादाबाद की निवासिनी है। दहेज में मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर महिला बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 23.09.2002 को अपनी पुत्रवधू नसरीन का गला दबाया बाद में धारदार हथियार जैसे दरांती से काट कर हत्या कर दी। मृतका के पेट में 06 माह का भ्रूण था। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-286/2003 में भा0द0वि0 की धारा-304बी0, 498ए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-3/4 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-13, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 15.10.2010 द्वारा दस वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 11.01.2016 तक 05 वर्ष 05 माह 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष 06 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। महिला बन्दी के 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है, 01 सहअभियुक्त का मुकदमा मा0 किशोर न्यायालय को अन्तरित किया गया है एवं 03 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी बन्दी की समयपूर्व रिहाई पर की गयी संस्तुति पर विचारोपरान्त प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि महिला बन्दी ने दहेज में मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने के कारण 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 23.09.2002 को अपनी पुत्रवधू नसरीन का गला दबाया बाद में धारदार हथियार जैसे दरांती से काट कर हत्या कर दी**,** मृतका के पेट में 06 माह का भ्रूण था। महिला बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष महिला बन्दी दिलवरी पत्नी श्री अफसर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in